उत्तर प्रदेश - पहला अनुपूरक बजट 2024-25

उत्तर प्रदेश सरकार ने **2024-25** के लिए **₹12,209.93 करोड़** का पहला **अनुपूरक बजट** पेश किया जिसमें नई योजनाओं के लिए **₹319.95 करोड़** का आवंटन शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- **अनुपूरक बजट का आकार:** अनुपूरक बजट का आकार **2024** के लोकसभा चुनावों से पहले (5 फरवरी को) प्रस्तुत राज्य के वार्षिक बजट (₹7.36 लाख करोड़) का **लगभग 1.66%** है।
- **आवश्यकता** : अनुपूरक बजट **तब प्रस्तुत किया** जाता है जब चल रही योजनाओं के लिए धनराशि अपर्याप्त होती है और वार्षिक बजट में नियोजित न की गई मदों के लिए धनराशि निर्धारित करने के लिए।

आबंटन:

- **अनुपूरक बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 7981.99 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय** शीर्ष के तहत 4227.94 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है ।
- **औद्योगिक विकास** के लिए **7500.18 करोड़ रुपये** का एक बड़ा हिस्सा निर्धारित किया गया है , जिसमें **मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे** के लिए **6071.99 करोड़ रुपये** शामिल हैं।
- **ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित** किए गए हैं, जबकि प्रयागराज महाकुंभ 2025 से पहले UPSRTC बेड़े के लिए नई बसें खरीदने के लिए **1000 करोड़ रुपये** निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने **2030 तक 50,000 परिचालन बसें रखने का प्रस्ताव रखा है।**
- **ग्रामीण स्टेडियमों और ओपन-एयर जिम के लिए ₹100 करोड़** तथा कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए **₹200 करोड़** निर्धारित किए गए हैं ।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यों के लिए **284 करोड़ रुपये** की धनराशि निर्धारित की गई है।
- शहरी विकास विभाग की **अमृत योजना** के लिए **600 करोड़ रुपये** की राशि आवंटित की गई है।
- **अयोध्या, मथुरा और वाराणसी** में पर्यटकों के लिए सुविधाएं सृजित करने के लिए **50 करोड़ रुपये की राशि** निर्धारित की गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) योजना बोर्ड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के गठन से संबंधित **उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक-2024** विधानसभा में पास हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- **शामिल जिले:** SCR में कुल **6 जिले** होंगे। इसमें **लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी** जिले को शामिल किया गया है।
- इसकी कुल **जनसंख्या 22941300** तथा **क्षेत्रफल 27826 वर्ग किलोमीटर** होगा।
- इससे इन जिलों का समुचित, व्यवस्थित और तीव्र विकास हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण-

- मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है।
- इसका **मुख्यालय लखनऊ में होगा** ।

❖ **सदस्य:**

 ➢ संबंधित जिलों के डीएम इसके सदस्य बनाए गए हैं।
 ➢ इसके साथ ही **9 और सदस्य** होंगे।
 ➢ अतिरिक्त मुख्य सचिव **आवास, प्रमुख विभागों के प्रमुख सचिव या सचिव या पदेन सचिव सदस्य होंगे।**
 ➢ **लखनऊ एवं अयोध्या के मण्डलायुक्त** इसके सदस्य होंगे।
 ➢ उत्तर प्रदेश **मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक** इसके सदस्य होंगे।
 ➢ लखनऊ के **मण्डलायुक्त क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण** के सदस्य सचिव होंगे।

विशेष निवेश क्षेत्र-

विधानसभा द्वारा पारित **नोडल निवेश क्षेत्र विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक-2024** के तहत सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए **चार और विशेष निवेश क्षेत्र** (SIR) स्थापित करने जा रही है।

विशेष निवेश क्षेत्र क्या है?

❖ विशेष निवेश क्षेत्र **बड़े निवेश क्षेत्र** होते हैं, जहां **क्लस्टर विकास** होता है, और आमतौर पर राज्य सरकार या अन्य विभागों द्वारा रखी गई शक्तियां प्राधिकरण स्तर तक विकेन्द्रित होती हैं।

❖ इस विकेंद्रीकरण के **दो मुख्य लाभ हैं: पहला, मास्टर प्लानिंग में कोई भी बदलाव वहीं किया जा सकता है।** दूसरा, सभी एनओसी और मंजूरी जिनके लिए आमतौर पर राज्य स्तर की मंजूरी की आवश्यकता होती है, वे भी विकेंद्रीकृत हैं।

प्रमुख बिंदु

❖ **चयनित क्षेत्र:** इन क्षेत्रों को **अलीगढ़ में पश्चिमांचल SIR**,उन्नाव में मध्यांचल SIR, प्रयागराज में पूर्वांचल SIR तथा झांसी और चित्रकूट में बुंदेलखंड SIR में विकसित किया जाएगा।

❖ **निर्माण बोर्ड:** मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक निर्माण बोर्ड भी गठित किया जाएगा, जिसके उपाध्यक्ष औद्योगिक विकास मंत्री होंगे।

❖ **निर्माण क्षेत्र समिति:** अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC) की अध्यक्षता में एक निर्माण क्षेत्र समिति होगी। इसका काम निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा तैयार मास्टर प्लान को मंजूरी देना होगा।

NIRMAN (निर्माण)

❖ विनिर्माण के लिए नोडल **निवेश क्षेत्र अधिनियम (निर्माण) का** उद्देश्य भारत और विश्व भर से प्रमुख निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है।

❖ इससे 'व्यापार करने में आसानी' को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा आम जनता के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

❖ यह अधिनियम राज्य में विशेष निवेश क्षेत्र विकसित करने के लिए बनाया गया है। वर्तमान में तीन राज्यों: **गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में इसी तरह के अधिनियम लागू हैं** ।

❖ इसके साथ ही उत्तर प्रदेश इस अधिनियम को लागू करने वाला **चौथा राज्य बन जाएगा।**

ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH

एकीकृत विनिर्माण और रसद क्लस्टर

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य के **30 जिलों में एक्सप्रेसवे** के किनारे **33 एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर** (IMLC) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- **एक्सप्रेसवे शामिल:** राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार, **30 जिलों में** स्थापित किए जाने वाले **33 एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर पांच प्रमुख एक्सप्रेसवे** के किनारे स्थित होंगे। इनमें **गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे** शामिल हैं।
- **रक्षा औद्योगिक गलियारा:** इनमें से रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे **आगरा और अलीगढ़** में किया जाएगा।
- **फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज** में IMLC के रूप में औद्योगिक गलियारे भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक गलियारे के निर्माण के साथ-साथ **कानपुर** में रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि नोड का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने **उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024** पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- **अधिकतम सजा:** धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण के लिए आजीवन कारावास।
- **वर्गीकृत अपराध:** धमकी देना, हमला करना, शादी करना या शादी का वादा करना या इसके लिए साजिश करना, या धर्म परिवर्तन के इरादे से किसी महिला, नाबालिग या किसी की भी तस्करी करना, तो उसके अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा।
- **कारावास** : इन अपराधों के लिए **20 वर्ष या आजीवन कारावास तक** की सजा का प्रावधान है। पहले किसी महिला को धोखा देकर उससे शादी करने और उसका धर्म परिवर्तन कराने के दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम सजा 10 वर्ष और 50,000 रुपये का जुर्माना था।
- **आर्थिक दंड:** जुर्माने के अलावा **5 लाख रुपये तक के मुआवजे** का भी प्रावधान किया गया है। बार-बार अपराध करने पर जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी गई है।
- **संशोधित प्रावधानों के तहत अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में एफआईआर** दर्ज करा सकता है। पहले मामले की जानकारी या शिकायत देने के लिए पीड़िता, उसके माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी होती थी।
- **गैर जमानती** : यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी और इसके साथ ही सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही संशोधित अधिनियम के तहत सभी अपराधों को **गैर जमानती** बना दिया गया है।

संक्षिप्त समाचार

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने **उत्तर प्रदेश के सात नए मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में प्रवेश के लिए अनुमति पत्र (LoP) जारी कर दिया है।** बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को सत्र 2024-25 में प्रवेश की अनुमति मिल गई है।

चर्चा में व्यक्ति- नियुक्ति

प्रीति सूदन	वह 1983 से आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें UPSC **का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।** वह केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं।	
लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सैना नायर	वह **चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं** ।	

महत्वपूर्ण दिन/तारीखें

1 अगस्त	**विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस** 	❖ प्रयेक वर्ष 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है। ❖ 2012 में, **फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज (FIRS) और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर (IASLC) द्वारा** निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को विश्व विश्व फेफड़ा दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि इस बीमारी और अस्वास्थ्यकर जीवनशैली की आदतों के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जा सके, जिन्हें हमें सुरक्षित रहने के लिए बदलना चाहिए। तब से, प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ❖ **विषय** : इस वर्ष विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस का विषय है - देखभाल की कमी को दूर करें: हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का अधिकार है।

खेल

पेरिस ओलंपिक 2024

- **स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए।** उन्होंने पुरुषों के फाइनल में कुल 451.4 अंकों के साथ कांस्य पदक प्राप्त किया।

महत्वपूर्ण समाचार- अन्य राज्य

तमिलनाडु	परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (AERB) ने तमिलनाडु के कलपक्कम में **500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) के "फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी" के लिए आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी है**, जो भारत का पहला स्वदेशी PFBR है। इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर में रिएक्टर कोर में ईंधन लोड करना और "लो पावर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स" की शुरुआत सम्मिलित है।

मिश्रित

- **भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना** (ECHS) ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई-स्वास्थ्य सहायता और टेली-परामर्श (ई-सेहत) मॉड्यूल प्रारंभ किया है। ई-सेहत टेली-परामर्श ECHS लाभार्थियों को ECHS पॉलीक्लिनिक में जाए बिना अपने घर से ही **चिकित्सा उपचार के लिए ऑनलाइन टेली-परामर्श प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।**

❍❍❍❍

ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH